1-12-17

अपील दर्ज रजिस्टर हो। मियाद का
बिन्दु रिजर्व रहेगा। बहस प्रा०पत्र
पर सुनी गई। बहस एवं अदालत
मातहत के निर्णय का अवलोकन
किया गया। अदालत मातहत की
आदेशिका दि० 6-10-16 को निर्णय
सुनाया जाना दर्ज है किन्तु आदेशिका
पर पीठासीन अधिकारी के
हस्ताक्षर नहीं है। साथ विस्तृत
निर्णय अलग से लिखवाया जाना
दर्ज है। किन्तु नकल प्रा०पत्र
दि० 26-9-17 जो क्रमांक 415 दि०
3-10-16 पर दर्ज है जिसमें लिखा
है कि "आवेदक द्वारा चाही गई
नकल बिन्दु सं० में वर्णित पत्रावली
में उपलब्ध नहीं है।" इससे स्पष्ट
है कि अदालत मातहत के द्वारा
न तो विस्तृत निर्णय लिखवाया
गया है और न ही आदेशिका
पर हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट है
कि अदालत मातहत द्वारा कोई
आदेश पारित नहीं किया गया।
बिना हस्ताक्षर के आदेशिका पर
जारी आदेश को आदेश की
तारीख में नहीं माना जा सकता
तथा पत्रावली पर यही माना जायेगा
कि अदालत मातहत में कोई
आदेश पारित नहीं हुआ है। प्रकरण
में हम यहां पर यही उचित मानते
हैं कि प्रकरण अदालत मातहत को
इसी स्तर पर रिमाण्ड कर दोनों

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते Web Copy Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय हेतु भिजवाया जाना उचित मानते हैं। अतः अपील अपीलार्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का आदेश दि० 6-10-16 (बिना हस्ताक्षर) को निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है कि वह पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपना निर्णय पारित करें। पक्षकार अदालत मातहत में दि० 29-12-17 को पेश हों। निर्णय सुनाया गया। [signature] भू प्रबन्ध अधिकारी एवं [illegible] अपील अधिकारी [illegible]	